न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
54 / 2024	26 / 07 / 2024	03 / 12 / 2025

जगदीश पुत्र पाँचूलाल जाति बैरवा निवासी भोज्याहेडी तह० अन्ता जिला बारों (राज.)

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– हेमन्त शर्मा।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 90, 92 (अ), आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तह. पीपल्दा के राजस्व रिकार्ड मे खतोनी संख्या 305 मे खसरा संख्या 3430 / 1311 रकबा 0.04है. कृषि भूमि वादी के तनहा खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड मे स्थित है। उक्त भूमि वादी द्वारा क्रय उक्त कृषि भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर (खडा नक्शा) अंकित था, किन्तु वर्ष 2019–2020 के पश्चात् राजस्व नक्शे के डिजीट लाइजेशन प्रोगाम के तहत उक्त नक्शे को आडा करके पूर्व से पश्चिम अंकित कर दिया गया है, जिससे प्रार्थी को काश्त एवं कब्जे तथा कृषि भूमि का पूर्ण स्वरुप ही बदल दिया गया है, जिसे संशोधित करवाकर पूर्ववत दुरुस्त करवाने का वादी अधिकारी है। तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा ने प्रस्तुत है। वादी को उक्त नक्शे के परिवर्तन से सहखातेदारान एवं अन्य कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है, उक्त नक्शे के संशोधन के अभाव मे प्रार्थी को अनेकानेक तकनीकी पेरेशानियो मे मे उलझना पड जायेगा उक्त आशंकाओ के निवारणार्थ वादी को यह लायजी हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त राजस्व नक्शे को मौकानुसार संशोधित करवाये तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। वादी द्वारा उक्त तकनीकी परिवर्तन बाबत तहसीलदार महोदय पीपल्दा को कई मर्तबा निवेदन करने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई ध्यान नही दिये जाने एवं अन्तिम बार विगत दिनांक 22.06.2024 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद–पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। विगत दिनांक 22.06. 2024 को प्रतिवादी तहसीलदार महोदय द्वारा वाछिंत नक्शा परिवर्तन करने से इन्कार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद–पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देर्शित करने पर वादी को वाद कारण लगातार उत्पन्न है। अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री मय आदेशित फरमाया जावे कि वाद–पत्र में वर्णित आराजी ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तह. पीपल्दा के राजस्व रिकार्ड मे खतोनी संख्या 305 मे खसरा संख्या 3430 / 1311 रकबा 0.04 है., कृषि भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस पूर्ववत दक्षिण दिशा की ओर खडे कोण मे अंकित किया जावे एवं तदुनुरुप नक्शा ट्रेस से यथोचित परिवर्तत, संशोधन करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को जरिए डिक्री आदेशित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वादी की ओर से वाद श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जो अग्रलिखित है। राजस्व ग्राम इटावा के आराजी ख0नं0 3430/1311 रकबा 0.04है0 भूमि खातेदार जगदीश पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा सा0 भोज्याहेडी के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खाते दर्ज है। ख0नं0 1311 रकबा 0.24है0 खातेदार जगदीश पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी खातेदार द्वारा उक्त आराजी ख0नं0 के कुल रकबे 0.28है0 में से रकबा 0.24है अन्य व्यक्ति को बेचान किया गया जिससे रजि0 डीड लिखवाते समय सहवन से गलत अंकन हो गया जिससे रजि0 डीड के अनुसार नामा0 की कार्यवाही करते समय दिया मौके के अनुसार ना होकर गलत दर्ज हो गयी जिसको शुद्ध किया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। तनकीयात कायम की गई।

1. आया वर्ष 2019–20 के पूर्व विवादित आराजी की तरमीम उत्तर से दक्षिण थी।

वादी

2. आया डिजीटलाईलेशन के दौरान नक्शे में त्रुटि हुई।

वादी

3. आया वादी ख0नं0 3430/1311 रकबा 0.04है0 का राजस्व नक्शो दक्षिण दिशा की ओर खडे कोण में अंकित कराने का अधिकारी है।

वादी

4. आया तरमीम शुद्धि से राज्य या अन्य खातेदार का हित प्रभावित है।

प्रतिवादी

5. दादरसी।

बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध जवाब सरकार व अन्य दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जवाब सरकार दिनांक 28.08.2025 के अनुसार राजस्व ग्राम इटावा के आराजी खनं0 1311 रकबा 0.28है0 खातेदार जगदीश पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसमें से खातेदार द्वारा 0.24है0 भूमि का बैचान अन्य व्यक्ति को किया गया है। उक्त रजि0 डीड आलेखित करते समय सही दिशा का सही ज्ञान नहीं होने कारण रजि0 डीड में दिशा का अंकन गलत हो गया। जिसके कारण रजि0 डीड के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करते समय तरमीम दिशा मौके के अनुसार नहीं हुई। जिससे शुद्ध किया जाना न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। उक्त शुद्ध की कार्यवाही से राज हित प्रभावित नहीं हो रहा है। तनकीवार विवेचन करने पर पाया किः–

तनकी नं0 1:– "आया वर्ष 2019–20 के पूर्व विवादित आराजी की तरमीम उत्तर से दक्षिण थी।" को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि विवादित आराजी की तरमीम उत्तर से दक्षिण थी। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 2:– "आया डिजीटलाईलेशन के दौरान नक्शे में त्रुटि हुई।" को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जवाब सरकार के अनुसार तरमीम करते समय मौके अनुसार तरमीम नहीं की जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्शायी गई दिशाओं के आधार पर तरमीम की गई थी। जबकि तरमीम मौके पर कब्जे अनुसार की जानी चाहिए थी। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

तनकी नं0 3:– "आया वादी ख0नं0 3430/1311 रकबा 0.04है0 का राजस्व नवशो दक्षिण दिशा की ओर खडे कोण में अंकित कराने का अधिकारी है।" को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 2 के अनुसार यह तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 4:– "आया तरमीम शुद्धि से राज्य या अन्य खातेदार का हित प्रभावित है।" को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने जवाब सरकार में बताया कि उक्त तरमीम के शुद्धि की कार्यवाही से राज्यहित प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 5:– "दादरसी" उक्त तनकीवार विवेचन से यह पाया कि खसरो की तरमीम रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार की जानी चाहिए जबकि हस्तगत प्रकरण में मौके कब्जे को नजरअन्दाज कर सिर्फ रिकॉर्ड के आधार पर ही तरमीम की गई है। जिसे सही नहीं किया तो वाद की बहुलता बढेगी। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में जवाब सरकार के अनुसार विक्रित भूमि का रजि0 विक्रय पत्र लिखवाते समय सही दिशा का अंकन नहीं होने से विक्रय पत्र में दर्ज दिशा के अनुसार तरमीम की गई। परन्तु मौके पर कब्जा विपरीत दिशा में है। जिसे मौके अनुसार सही किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम इटावा के ख0नं0 3430/1311, 3431/1311 की तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ख0नं0 3430/1311, 3431/1311 की नक्शा लट्ठा/भू–नक्शा में खातेदारान के कब्जे अनुसार दिशा उनके खातेदारी रकबे की तरमीम करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा